भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 30

सोमवार, 20 जुलाई, 2026/29 आषाढ़, 1948 (शक)

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा

30. **सुश्री इकरा चौधरी:**
श्री देवेश शाक्य:
श्री लालजी वर्मा:
श्री अजेन्द्र सिंह लोधी:
श्री नीरज मौर्य:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में पंजीकृत 8.3 करोड़ से अधिक श्रमिकों में सक्रिय बैंक खाता धारक श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से ऐसे श्रमिकों की संख्या कितनी है जो आधार से जुड़े मोबाइल नंबर होने के कारण प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश में ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से दायर किए गए श्रमिक दुर्घटना बीमा दावों की कुल संख्या और अब तक निपटाए गए ऐसे दावों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का पोर्टल पर पंजीकरण के उपरांत विभिन्न राज्यों में कार्य करने वाले गैर-निवासी श्रमिकों/कामगारों, जो सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित रह जाते हैं, को पोर्टेबिलिटी सुविधा प्रदान करने का विचार है;

(घ) ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों/कामगारों में से केवल लगभग दस प्रतिशत से भी कम श्रमिकों को वास्तव में पेंशन अथवा स्वास्थ्य योजनाओं के लाभ प्राप्त होने के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ङ) यदि हां, तो विशेष रूप से कैराना, एटा, अंबेडकर नगर, हमीरपुर तथा आंवला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का आधार से जुड़ा एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) बनाने के लिए दिनांक 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) का शुभारंभ किया था। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करते हुए पंजीकृत करना और उनकी मदद करना है।

जारी...2/-

ई-श्रम पोर्टल पर अब तक 31.78 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों का पंजीकरण किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत लगभग 8.46 करोड़ असंगठित कामगारों में से 6.07 करोड़ कामगारों के बैंक खाते आधार से जुड़े हुए हैं, जो उन्हें कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने में मदद कर रहे हैं।

असंगठित कामगारों की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच बनाने हेतु ई-श्रम को एक वन-स्टॉप-सॉल्यूशन के रूप में विकसित करने संबंधी बजट घोषणा, वर्ष 2024-25 के विज़न को ध्यान में रखते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" का शुभारंभ किया। ई-श्रम -"वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को एक ही पोर्टल अर्थात् ई-श्रम पर एकीकृत किया गया है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच बनाने और ई-श्रम के माध्यम से उनके द्वारा अब तक उठाए गए लाभों को देखने में सक्षम बनाता है।

असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए अब तक विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की चौदह (15) योजनाओं को ई-श्रम के साथ पहले ही एकीकृत/मैप किया जा चुका है, जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी (ग्रामीण) (वीबी-जी आरएएम जी), प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (पीएमएमवीवाई) आदि शामिल हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, ई-श्रम को नौकरी के अवसरों के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस), कौशल विकास हेतु स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) तथा पेंशन के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के कन्वर्जेंस पोर्टल के साथ जुड़ा हुआ है।

ई-श्रम डेटाबेस पात्र लाभार्थियों की लक्षित पहचान और उन्हें शामिल करने में सक्षम बनाता है, प्रवासी कामगारों के लिए लाभों की पोर्टेबिलिटी को बढ़ावा देता है और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण का समर्थन करता है, जिससे पूरे देश में असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार होता है और लाभों तक उनकी पहुँच में सुधार होता है।

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत तथा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत नामांकित कैराना, एटा, अम्बेडकर नगर, हमीरपुर और आंवला लोकसभा क्षेत्रों के जिलों के असंगठित कामगारों का योजना-वार ब्यौरा संलग्न है।

* *****

जारी...3/-

संलग्नक

"असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा" के संबंध में सुश्री इकरा चौधरी, श्री देवेश शाक्य, श्री लालजी वर्मा, श्री अजेंद्र सिंह लोधी एवं श्री नीरज मौर्य द्वारा दिनांक 20.07.2026 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 30 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक।

दिनांक 14.07.2026 तक विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन नामांकित तथा ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कैराना, एटा, अम्बेडकर नगर, हमीरपुर और आंवला लोकसभा क्षेत्रों के जिलों के असंगठित कामगारों का योजना-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

जिले	ओएनओआरसी	पीएम स्वनिधि	वीबी-जी आरएएम जी	पीएम एवाई-जी	आईजी एनडीपीएस	आईजी एनडब्ल्यूपीएस	पीएम एवाई-यू	पीएम एमएसवाई	पीएम जेजेबीवाई	पीएम एसबीवाई	पीएम जेएवाई	पीएम किसान	पीएम एमवीवाई
अम्बेडकर	9,23,379	6,127	1,39,225	33,040	1	137	14,643	34	77,239	3,13,684	5,52,524	1,84,321	5,202
बाँदा	5,74,733	5,445	1,31,338	52,127	2	223	13,280	2	28,718	1,09,163	2,61,487	1,02,848	1,947
बरेली	15,03,730	35,224	1,77,523	12,003	4	641	24,145	31	1,38,164	5,05,100	8,04,384	2,65,666	9,100
शाहजहांपुर	11,01,119	12,448	1,24,397	24,658	8	1,079	11,906	27	56,762	4,30,298	5,13,924	2,53,596	5,821
एटा	6,26,568	5,823	74,066	10,965	2	1,604	7,746	27	34,606	1,83,467	2,65,729	1,30,960	1,460
हमीरपुर	4,08,755	4,185	1,15,297	10,539	2	70	9,346	17	22,169	1,08,146	1,92,497	78,290	839
कासगंज	4,98,937	6,272	83,899	2,636	5	28	5,806	68	23,543	1,46,930	2,41,138	1,08,468	2,224
महोबा	3,11,909	3,529	52,110	8,173	1	257	8,326	40	24,422	79,538	1,36,865	52,768	1,367
सहारनपुर	10,82,652	21,572	87,406	2,455	567	2,057	25,770	1	46	1,27,910	6,30,185	1,35,347	5,189
शामली	3,99,455	6,119	15,187	638	6	5	11,902	14	20,869	1,06,430	2,27,710	50,421	1,271